मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2731

09.03.2026 को उत्तर के लिए

पंजाब में वृक्षारोपण परियोजनाएं

2731. श्री शेर सिंह घुबाया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के फिरोजपुर, गुरू हर सहाय, फाजिल्का, अबोहर, मलोट और श्री मुक्तसर साहिब क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रस्तावित वृक्षारोपण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने और जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उक्त सीमा पर और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष हरित योजना तैयार की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : सरकार द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा), राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) तथा राज्य वन विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्य वानिकी योजनाएँ शामिल हैं, के माध्यम से वनीकरण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं। हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण की स्थिति में सुधार करने हेतु ये कार्यक्रम वन भूमि, संस्थागत भूमि, सड़क किनारे की पट्टियों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण का समर्थन करते हैं।

काम्पा, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना आदि के माध्यम से पंजाब समेत पूरे देश में वृक्षारोपण और वनरोपण गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत वार्षिक संचालन योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनरोपण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनक्षारित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और संबंधित पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली कार्यों जैसी गतिविधियों का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा

फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब सहित अन्य जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कार्य योजना के निर्देशों और अनुमोदित वानिकी कार्यक्रमों के अनुसार भूमि की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता और निधि के आधार पर वनीकरण कार्य किया जाता है। इन कार्यकलापों में पंजाब में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार तथा हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से सड़कों, नहरों और संस्थागत भूमि के किनारे वृक्षारोपण, वन खंडों का विकास और पारिस्थितिक बहाली जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

विशेषकर, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कोई अलग या विशेष हरित योजना का प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं है। तथापि, मंत्रालय वानिकी और पारिस्थितिक बहाली कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे वृक्षारोपण और वनरोपण संबंधी विभिन्न कार्यकलापों का समर्थन करता है।

*****